

\*प्रेस विज्ञप्ति\*

\*जनपद भदोही\*

\*दिनांक- 19.09.2026\*

\*♦ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान\*

\*♦ मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल ₹1,500/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

\*♦ वैज्ञानिक विवेचना, प्रभावी साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा\*

दिनांक 15.01.2008 को थाना ज्ञानपुर क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मार-पीट एवं धमकी दी गई, उक्त प्रकरण में थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही पर धारा 323, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं \*श्री अभिनव त्यागी\* पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में \*"ऑपरेशन कन्विकशन"\* के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष पीओ श्री ब्रह्ममूर्ति की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 18.09.2026 को अभियुक्त श्यामलाल यादव पुत्र शंकर यादव निवासी-ग्राम जगापुर, डेलवरिया, थाना-ज्ञानपुर, जिला-भदोही के विरुद्ध धारा 323, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए संबंधित धाराओं में जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक धारा में ₹500/- के अर्थदण्ड, अर्थात् कुल ₹1,500/- प्रत्येक, से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का कोई भाग अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।